PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the share **certificate No. 00000637, Folio No. 0004348 for 500 equity shares** bearing **distinctive Nos. 000576001 to 576500** standing in the name of **GL SAHNI** in the books of **M/s KEI Industries Limited,** has been lost and the advertiser has applied to the Company for issue of duplicate share certificate in lieu thereof. Any person who has claim on the said shares should lodge such claim with the Company's Registrars and Transfer Agents viz Mass Service, **T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, New Delhi- 110020** within 15 days from the date of this notice failing which the Company will proceed to issue duplicate share certificate in respect of the said shares.

Date: 03.06.2025 **Name(s) of the Claimant**
Place: New Delhi **Rajiv Sawhney**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन वर्टिकल
बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर
सी–26, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई–400051
ईमेलः wfd.bcc@bankofbaroda.co.in

संदर्भः **BOB:SAMV:117:1096** दिनांकः 17.05.2025

इरादतन चूककर्ताओं का वर्गीकरणः समीक्षा समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अवसर

मेसर्स कोलकाता ज्वेल वर्क्स, पताः 4वीं मंजिल, 20/2801, बीडन पुरा, करोल बाग नई दिल्ली–110005	श्री सुवंकर जीती पुत्र आनंद जीती, मकान नंबर –डी–111, एस/एफ, अजय एन्क्लेव, तिलक नगर, दिल्ली–110018

कृपया 03.02.2025 को आपके पंजीकृत पते पर भेजा गया कारण बताओ नोटिस देखें जो 06.02.2025 को बिना डिलीवर हुए वापस आ गया था, इसलिए 25.02.2025 को बिजनेस स्टैंडर्ड, नई दिल्ली (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) के पेपर में प्रकाशित हुआ। 21 दिनों की समय–सीमा के भीतर एससीएन के खिलाफ कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए, इरादतन चूककर्ता की पहचान करने वाली समिति ने समीक्षा समिति को आपके इरादतन चूककर्ता करने वाले के रूप में वर्गीकरण के लिए सिफारिश की है। आप इस नोटिस के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर समीक्षा समिति के समक्ष पुर्नविचार हेतु याचिका कर सकते है इसके प्राप्त न होने की स्थिति में, समीक्षा समिति के पास आपको इरादतन चूककर्ता करने का अधिकार होगा।

हस्ता/–
(महाप्रबंधक)

तिथिः 31.05.2025, स्थानः नई दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अशोक विहार, दिल्ली
ईमेलः **ubin0825522@unionbankofindia.bank**

Ref: 25521/ADV/11/2025-26 **दिनांक : 15-05-2025 स्थानः दिल्ली**

धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

सेवा में,

1. उधारकर्ता(ओं) : श्री राहुल जैन पुत्र श्री शीतल जैन
निवासी यूयू – 206, दूसरी मंजिल, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली 110 034

विषयः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13 (3) के तहत सूचना

पता नं. 1 ने हमारी अशोक विहार शाखा से निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाएं का लाभ उठाया है और बकाया राशि/किश्त/ब्याज चुकाने/खाता संतोषजनक रूप से परिचालित करने में असफल रहे हैं और अतएव, आय मान्यता और विवेकपूर्ण लेखांकन मानकों के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के निबंधनों में आपका खाता (255216520000037) को 18.06.2024 को अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुका/चुके हैं। आपके खातों में दिनांक 18.06.2024 तक रू. **6,92,792.26** (रु. छह लाख बान्वे हजार सात सौ बान्वे और पैसे छब्बीस मात्र) की राशि बकाया है।

आप क्रमांक 1 की तरफ उपरोक्त खाता/खातों के संबंध में बैंक की बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है :

सुविधा का प्रकार	बकाया राशि एनपीए की तिथि अर्थात 18.06.2024 तक	अप्रयुक्त ब्याज	दंड ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा उपगत लागत/प्रभार	कुल बकाया
वाहन ऋण	रु. 6,77,987.00	रु. 14,805.26	--	--	रु.6,92,792.26

बैंक की बकाया और बकाया हो सकने वाली राशि के प्रतिभुगतान की प्रतिभूति हेतु, आप श्री राहुल जैन ने 20.12.2022 को निम्नलिखित दस्तावेजों को निष्पादित करें है और द्वारा प्रतिभूति हित द्वारा सृजित किया है :

नीचे वर्णित दृष्टिबंधक चल सम्पत्ति का विवरणः

- **ब्रांड न्यू – टोयोटा ग्लैंजा एस पेट्रोल एमटी जो निम्नलिखित विवरणों के साथ पंजीकृत है:**

पंजीकरण संख्याः DL 8C BE 5806
चेसिस संख्याः MBHJWC13SNM340381
इंजन संख्याः K12NP7191328

अतएव, एतद्द्वारा आपसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के निबंधनों में रू. **6,92,792.26** (रु. छह लाख बान्वे हजार सात सौ बान्वे और पैसे छब्बीस मात्र) की राशि आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों के नियम एवं शर्तों के अनुसार संविदात्मक दर पर आगे ब्याज तथा प्रभारों के साथ, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाकर अपनी पूर्ण देयताओं का निर्वहन करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर हम उक्त अधिनियम के तहत किसी भी या सभी अधिकारों के प्रयोग द्वारा उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने हेतु बाध्य होंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप यह सूचना प्राप्त होने पर बैंक की सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूतयों का निपटान अथवा संव्यवहार नहीं कर सकते हैं।

आपका ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफासी की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी

एचपीएल इलेक्ट्रिक एण्ड पावर लिमिटेड
सीआईएनः L74899DL1992PLC048945
पंजीकृत कार्यालयः 1/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110 002
दूरभाषः +91-11-23234411, **फैक्सः** +91-11-23232639
ई–मेलः hplcs@hplindia.com, **वेबसाइटः** www.hplindia.com

सदस्यों के लिए डाक मतपत्र की सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22, यथासंशोधित (**"नियम"**), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**'एमसीए'**) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 और समय–समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्र (**"एमसीए परिपत्र"**), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, के साथ पठित सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (**"सूचीबद्धता विनियम"**) जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (**"आईसीएसआई"**) द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 (**"एसएस –2"**), और अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसरण में एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सदस्यों की स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम ("ई–वोटिंग") के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा मांगी जा रही है।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के संदर्भ में कंपनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से उन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना के साथ–साथ व्याख्यात्मक विवरण का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण **सोमवार, 2 जून, 2025** को पूरा कर लिया है जिनके ईमेल पते **शुक्रवार, 30 मई, 2025** ("कट–ऑफ तिथि") तक कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') को नियुक्त किया है।

जिस व्यक्ति का नाम **कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 30 मई, 2025** को सदस्यों/लाभार्थी स्वामित्व के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही डाक मतपत्र/ई–वोटिंग द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट करने का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना नहीं मिली है वे इसे कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com, केफिनटेक ई–वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी को hplcs@hplindia.com पर लिख सकते हैं।

निदेशक मंडल ने श्री दीपक कुकरेजा और श्रीमती मोनिका कोहली, पार्टनर डीएमके एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को डाक मतपत्र और ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए क्रमशः जांचकर्ता और वैकल्पिक जांचकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

इसलिए, सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

क) डाक मतपत्र सूचना भेजने/प्रेषण की समाप्ति की तिथि सोमवार, 2 जून, 2025 है।

ख) ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 3 जून, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 2 जुलाई, 2025 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 30 मई, 2025 को भौतिक या डिमेटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद केफिन द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ग) रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना शुक्रवार, 30 मई, 2025 (कट–ऑफ तिथि) को व्यवसाय घंटों की तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात के आधार पर की जाएगी।

घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

ई–मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद सदस्य से अनुरोध प्राप्त होने पर ई–वोटिंग यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ इस सूचना की एक प्रति पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजी जाएगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य hplcs@hplindia.com पर लिख सकते हैं।

ङ) ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://evoting kfintech.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए einward.ris@kfintech.com पर या 1800 3094001 (टोल फ्री नं.) पर संपर्क कर सकते हैं।

च) ई–वोटिंग सहित डाक मतपत्र के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए सदस्य संपर्क कर सकते हैं:

श्री गणेश चन्द्र पात्रो
सहायक उपाध्यक्ष
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
फोनः 040–67161526; ईमेल आईडीः einward.ris@kfintech.com

डाक मतपत्र के परिणाम रिमोट ई–वोटिंग के समापन की तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे। यानी **शुक्रवार, 04 जुलाई, 2025 को शाम 05:00 बजे** या उससे पहले। घोषित परिणाम और जांचकर्ता की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com और केफिनटेक की वेबसाइट https:/evoting kfintech.com पर उपलब्ध होंगे और साथ ही एनएसई और बीएसई, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी सूचित किया जाएगा।

कृते एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड
हस्ता./–
विवेक कुमार
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. ए18491

स्थानः कुन्डली
दिनांकः 2 जून, 2025

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक **pnb punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

शाखा कार्यालय :– कीर्ति नगर, दिल्ली एन–104, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015
फोन : 011–25152844, 25435403, ईमेल : B0002210@pnb.co.in

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2022 की धारा 13(4) के तहत) (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय – कीर्ति नगर, दिल्ली एन–104, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक **मांग सूचना दिनांकित 05–03–2025** जारी की थी, जिसमें कर्जदार/रों **(1) श्री मनोज कुमार पता : (ए) जी–1/86, तृतीय तल, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089, (बी) एच–4/78, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089 (2) श्रीमती कांता पता : जी–1/86, तृतीय तल, ब्लॉक–जी, पॉकेट–1, सेक्टर–14, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110085,** से नीचे दिए विवरण के अनुसार

क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि अर्थात 28–02–2025 तक बकाया राशि (रू. में)	28–02–2025 तक जोड़ा नहीं गया ब्याज	दंड ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा उपगत लागत/प्रभार
1.	हाउसिंग लोन	रु. 19,25,356.46	466.83	885.78	शून्य

28–02–2025 तक बकाया राशि रू. 19,26,709.07 /– (रूपए उन्नीस लाख छब्बीस हजार सात सौ नौ तथा पैसे सात मात्र) उस पर आगे 01–03–2025 से पूर्ण भुगतान तक संविदात्मक दर पर ब्याज, लम्बित ब्याज, अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों सहित सूचना(ओं) की तिथि/ सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने मांग की गई थी।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उपरोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का निर्वाह करने/राशि चुकाने में विफल रहे हैं, और इसलिए कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा 31 मई, 2025 अर्थात (31–05–2025)** को ले लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को तथा जनसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय – कीर्ति नगर, दिल्ली एन–104, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015** की नीचे दिए विवरण के अनुसार बकाया राशि :–

क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि अर्थात 28–02–2025 तक बकाया राशि (रू. में)	28–02–2025 तक जोड़ा नहीं गया ब्याज	दंड ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा उपगत लागत/प्रभार
1.	हाउसिंग लोन	रु. 19,25,356.46	466.83	885.78	शून्य

28–02–2025 तक बकाया राशि रू. 19,26,709.07 /– (रूपए उन्नीस लाख छब्बीस हजार सात सौ नौ तथा पैसे सात मात्र) उस पर आगे **01–03–2025** से पूर्ण भुगतान तक संविदात्मक दर पर ब्याज, लम्बित ब्याज, अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन :

सम्पत्ति संख्या 86, तृतीय तल, ब्लॉक–जी, पॉकेट–1, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली–110089

तिथि : 31-05-2025, स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री बांके बिहारी टेक्सटाइल ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में रीना देवी की मकान संख्या 807, क्षेत्रफल 33.44 वर्ग मीटर, गली नंबर 17, खसरा नंबर 49/16 में से, अनधिकृत कॉलोनी शिव विहार, पीएच-6 गोकुलपुरी में स्थित, करावल नगर गांव के क्षेत्र में, इलाक़ा शाहदरा, दिल्ली-110094 की संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए आवेदन किया है। डीडीए के माध्यम से पीओआई द्वारा निष्पादित प्राधिकरण पर्ची के अनुसार (दिनांक 16.02.2025 (दस्तावेज संख्या 2025/12/I/602, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 6192, पृष्ठ- 191 से 200, एसआरओ- उत्तर पूर्व सीलमपुर IV)) उक्त संपत्ति के संबंध में कृष्णा अग्रवाल द्वारा निष्पादित नोटरीकृत जीपीए दिनांक 20.02.2019 द्वारा रीना देवी के नाम पर स्थानांतरित किया गया था। इस ऋण के संबंध में कोई भी आपत्ति 07 दिनों के भीतर (प्रकाशन दिवस सहित) लिखित रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता को भेजी जानी चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि इस ऋण पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@gmail.com)

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Share Certificate of 300 Shares bearing Folio ESC0123494 of ESCORTS KUBOTA LTD standing in the names of SHRI MANJU JAIN AND VIJAY JAIN R/o 399 Lajpat Nagar Jalandhar 144001.Punjab have been reported lost /stolen and that an application for issue of duplicate certificate in respect thereof has been made to the Company at 18/4, Mathura Road, Sector 13, Faridabad 121007, Delhi to whom objection, if any, against issuance of such Duplicate Share Certificates should be made within 15 days from the date of publication of this notice. share certificate is not mortgaged or any loan taken against it.

सार्वजनिक सूचना

पहचान पत्र का खो जानाः

यह आम जनता के ध्यान में लाना है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी श्री RAVI KUMAR RAJWALका एक आईडी कार्ड। आईडी कार्ड नं. 2510489, DATE: - 20-05-2025 को लापता और/या खो गया पाया गया है। जो कोई भी उक्त आईडी कार्ड पाता है, उससे अनुरोध है कि उक्त आईडी कार्ड प्रबंधक ऋण सेवा एवं प्रबंधन समूह, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, को वापस कर दें। Community centre SD Tower 1st floor, sector - 8, Rohini, New Delhi -110085 इसलिए, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के सभी ग्राहकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आईडी कार्ड नंबर 2510489 धारण करने वाले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कोई भुगतान न करें।

कृपया आगे ध्यान दें कि उक्त आईडी कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी लागत, जोखिम और जोखिम पर ऐसा करेगा और आईसीआईसीआई बैंक किसी भी भुगतान के लिए बाध्य और/या जिम्मेदार नहीं होगा।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए
तारीखः 20-05-2025
स्थानः- DELHI **एस.डी.-**

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोनः – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइटः www.pnbhousing.com**
मेरठ शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, पिनाकल टॉवर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड, मेरठ–250004, (यूपी)

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
NHL/MEE/0723/1132808, HOU/MEE/0423/1109418, बी.ओ.: मेरठ, दीपक गर्ग, मायावती	11.07.2024 तक रु. 30,19,148.56	भौतिक कब्जा	एमपीएल नंबर 2129, खसरा नंबर 857 और 893, वार्ड नंबर 30, इंद्रा नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002, भारत	रु. 2887000	रु. 288700	19.06.2025	रु. 10,000	12.06.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	20.06.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Know

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(र्स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अमित शर्मा, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : उत्तर प्रदेश, दिनांक : 03.06.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

BAJAJ FINSERV

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग पांचवीं मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा का पताः चौदहवीं मंजिल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा नई दिल्ली-110034
शाखा का पताः दि कोरेंथम की तीसरी मंजिल, प्लॉट सं. ए-41 में निर्मित, सेक्टर-62, इंस्टीच्यूशनल एरिया, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ. प्र.

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन मांग सूचना

मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार(ों)/सह-कर्जदार(ों), जो बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा उन्हें सम्पत्ति के एवज में प्रदान की गई गृह ऋण/ऋण की रकम यानी मूलधन के साथ ही साथ उस पर ब्याज तथा अन्य शुल्कों का चुकता करने में विफल हो चुके हैं यानी अपनी देनदारियां चुकता करने में विफल हो चुके हैं, को नीचे उल्लिखित सूचना दी जाती है, तथा इसके परिणामस्वरूप संबंधित ऋण अनर्जक सम्पत्ति (एनपीए) बन चुकी है। तद्नुसार, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) तथा उसके नियमों के अधीन सूचनाएं उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी की गई थी, हालांकि, वह असेवित/बिना डिलीवरी के वापस आ गया। फलस्वरूप, कर्जदारों/सह-कर्जदारों को उनके द्वारा समय-समय पर ऋण की सुविधा के तहत हासिल की गई बकाया राशि चुकता करने के लिए इस सूचना के प्रकाशन के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता है :

ऋण खाता सं./कर्जदार(ों)/सह-कर्जदार(ों)/गारंटर(ों) का नाम एवं पता	प्रत्याभूत/गिरवी पर रखी गई अचल सम्पत्ति/कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति का पता	मांग सूचना तारीख एवं रकम
शाखाः दिल्ली एलएएन सं. 401ZLT72721531 एवं H401ECN0515438 **1. मंजू श्रीकांत रस्तोगी (कर्जदार)** **2. श्रीकांत जयकिशन रस्तोगी (सह-कर्जदार)** **3. रस्तोगी इलेक्ट्रॉनिक्स (अपने स्वत्वाधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ प्रबंध निदेशक के जरिए) (सह-कर्जदार)** **दोनों का पताः** एच-187 बी साई चौक के निकट दिलशाद, गार्डन, दिल्ली-110095	यहां नीचे उल्लेखित गैर-कृषितर सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्साः दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095 में स्थित डीडीए द्वारा निर्मित पहली मंजिल पर जनता फ्लैट सं. एच-187-बी, पीकेटी-एच	27 मई 2025 एवं रु. 16,65,056/- (रुपये सोलह लाख पैंसठ हजार छप्पन मात्र)
शाखाः दिल्ली एलएएन सं. H401HHL0353479 एवं H401HLT0357447 **1. निर्दोष गौतम (कर्जदार)** **2. रेणु गौतम (सह-कर्जदार)** **दोनों का पताः** प्लॉट सं. 2/117, फ्लैट सं. 04 हाई टेक अपार्टमेंट राजेन्द्र नगर सेक्टर-2 साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005	यहां नीचे उल्लेखित गैर-कृषितर सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्साः रिहायसी कॉलोनी सेक्टर-2, ब्लॉक-2, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 में प्लॉट सं. 2/117 पर निर्मित अपर ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित 70 वर्ग मीटर यानी 753 वर्ग फीट अच्छादित क्षेत्रफल फ्लैट सं. 04 (एमआईजी) छत के अधिकार के बगैर	26 मई 2025 एवं रु. 17,90,174/- (रुपये सतरह लाख नब्बे हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)
शाखाः दिल्ली एलएएन सं. H401HLD1095757 एवं H401HLT1099547 **1. राहुल राहुल (कर्जदार)** **2. अनिल कुमार (सह-कर्जदार)** **3. लक्ष्मी देवी (सह-कर्जदार)** **दोनों का पताः** प्लॉट सं. 129, 130 एवं 131, तीसरी मंजिल, सामने की ओर मिडिल ब्लॉक ई पीवीटी फ्लैट सं. 302, भगवती गार्डन वेस्ट दिल्ली-110059	यहां नीचे उल्लेखित गैर-कृषितर सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्साः ग्राम नवादा, दिल्ली के राजस्व परिसम्पदा, राज्य दिल्ली, भगवती गार्डन के नाम से ज्ञात कॉलोनी, ब्लॉक-ई में, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित खसरा सं. 16 एवं 17 में से, प्लॉट सं. 129, 130 एवं प्लॉट सं. 131 के हिस्से में निर्मित ऊपरोक्त कथित सम्पत्ति में से, तीसरी मंजिल पर निर्मित सामने बीच में, पीवीटी. सं. 302, क्षेत्र का परिमाप 48 वर्ग यार्ड, छत/टेरेस के अधिकार के साथ	27 मई 2025 एवं रु. 24,01,727/- (रुपये चौबीस लाख एक हजार सात सौ सत्ताईस मात्र)
शाखाः नोएडा एलएएन सं. H582HHL0732378 एवं H582HLT0742495 **1. रंजीत राजबंशी (कर्जदार)** **2. संगीता संगीता (सह-कर्जदार)** **दोनों का पताः** आरजेड-एच-713ए फ्लैट सं. 104 पहली मंजिल, पीछे बायीं तरफ, पालम कॉलोनी मेन छोटू राम मार्ग सर छोटू राम स्कूल, राज नगर पार्ट 2 साऊथ वेस्ट दिल्ली-110077	यहां नीचे उल्लेखित गैर-कृषितर सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्साः ग्राम पालम, दिल्ली राज्य, राज नगर-I के नाम से ज्ञात कॉलोनी, मेन छोटू राम मार्ग, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 में स्थित खसरा सं. 57/18/1 में से, सम्पत्ति सं. आरजेड-एच-713ए में से, पहली मंजिल पर (पीछे की ओर एलएचएस) दक्षिण-पश्चिम हिस्से में 85 वर्ग यार्ड यानी 71.0685 वर्ग मीटर परिमाप क्षेत्रफल की सम्पत्ति, छत टेरेस के अधिकार के बगैर साथ में स्टिल्ट मंजिल पर एक छोटी कार पार्किंग की जगह	27 मई 2025 एवं रु. 32,69,911/- (रुपये बत्तीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र)

यह कदम असेवित सूचनाओं की वैकल्पिक सेवा के रूप में उठाया गया है। ऊपर उल्लिखित कर्जदारों तथा/अथवा सह-कर्जदारों/गारंटरों को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर बकाया रकम के साथ भविष्य के ब्याज की राशि चुकता करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा (बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पास उपलब्ध समाधान के अन्य किसी भी अधिकार के प्रति बिना किसी भी पूर्वाग्रह के) वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्याभूत सम्पत्तियों/गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों पर कब्जा करने के लिए आगे का कार्रवाई की जाएगी। ऊपर नामित पार्टियों को ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों, जिस पर बजाज फाइनैंस लिमिटेड का प्रभार है, के हस्तांतरण, तृतीय पक्ष हित गठित नहीं करने की सलाह दी जाती है।

स्थान : दिल्ली तारीख : 03.06.2025 **हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

2276
23/04/25

कार्यालय वसूली अधिकारी– द्वितीय
ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा–II, किसान भवन के सामने
लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)
(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा)	:	23.04.2025
नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा)	:	02.05.2025
निरीक्षण की तिथि	:	30.05.2025
अमानत राशि एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	:	05.06.2025
ई–ऑक्शन	:	10.06.2025
रिपोर्ट	:	16.06.2025

फार्म संख्या 13
(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अन्तर्गत)

वसूली प्रमाण पत्र संख्याः 348/2019

प्रकरण का शीर्षक

आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम **ज्योति वाजपेई व अन्य**
(IDBI Bank Ltd. **Vs** **Jyoti Bajpai & Others)**

विक्रय की उद्घोषणा

यहकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 348/2019 जो कि मूल आवेदन संख्या 347/2016 में दिनांक 27.05.2019 को सभी प्रतिवादीगण, के विरूद्ध 16,36,566.00/– रु की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चों सहित वसूल किये जाने योग्य है। तथा यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 02.07.2019 तक ब्याज, वाद व्यय व खों सहित कुल राशि रूपये 21,06,286.00 एवं भविष्य का ब्याज बकाया है। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित **सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 10.06.2025** को C-1 India Pvt. Ltd. कार्यालयः 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya - 8866682937, mobile no 91 7291891124/25/26 and Vinod Kumar 8866682931 वेबसाईट **www.bankeauctions.com** at 11 AM से 3 PM तक किया जावेगा। दोपहर 03 बजे बाद 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नही बढ़ाता है तो स्वीकार कर ली जायेगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 05 मिनट बढा दिया जायेगा। यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जायेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये है, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति का विक्रय **"जहॉं है जैसी स्थिती में है"** के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा। विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वम् अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नही लिया जावेगा।

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तो तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अध्ययीन होगाः– **1.** संलग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उदघोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। **2.** सम्पत्ति का **आरक्षित मूल्य राशि रूपये 13.27 लाख** तय किया गया है, जिससे कम मूल्य में सम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया जाएगा। **3.** सम्पत्ति की बोली राशि **रू. 20,000/– के गुणांक** में बढाई जाऐगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। **4.** इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वैब साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। **5.** बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत आरक्षित राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा इण्डियन ओवरसीज बैंक जगतपुरा, जयपुर राजस्थान IFSC No. IOBA0003820 में संधारित खाता संख्या 382002000000001 में जमा करवायी जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता i.e. C-1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, on e-mail: gujarat@c1india.com & support@bankeauctions.com, पर भी भेज सकते है। उसके उपरांत नियत समय से पूर्व अधिकरण में जमा कराई जावेगी। **6.** किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। **7.** लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। **8.** अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 382002000000001 में जमा करवायी जायेगी अथवा जरिये डी.डी (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण मे जमा कराई जाएगी। **9.** नीलामी राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त राशि इण्डियन ओवरसीज बैंक जगतपुरा, जयपुर राजस्थान में स्थित खाता सख्या 382002000000001 जमा करवायी जायेगी अथवा जरिये डी.डी (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण मे जमा कराई जाएगी। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। **10.** ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में सभी अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/– रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान जरिये डी.डी. (रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर के नाम) करना होगा। **11.** प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक नियत तिथि पर सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बैंक के अधिकारी श्री संदीप कुमार सैनी नोडल अधिकारी मोबाइल नम्बर– 8527439989 पर सम्पर्क कर सकते है। **12.** यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी/सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते है। **13.** प्रस्तावित बोलीदाता C-1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Mr. Bhavik Pandya - 8866682937, mobile no. 91 7291891124/25/26 and Mr. Vinod Kumar 8866682931 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है जो वैब साईड **www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध है। **14.** अमानत राशि जमा कराये जाने एवं पंजीयन की अन्तिम तिथि **05.06.2025** को सांय 3.00 बजे तक है। इच्छुक बोलीदाता को पंजीयन कराए जाने हेतु आवश्यक के.वाई.सी. दस्तावेजात जो कि सेवा प्रदाता को प्रेषित किए गए है, अधिकरण में जमा कराने होंगे। **15.** आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C-1 India Pvt. Ltd. के द्वारा दिनांक **10.06.2025** को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक संपादित की जावेगी। दोपहर 03 बजे बाद 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढाता है, तो स्वीकार कर ली जाऐगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 5 मिनट बढा दिया जायेगा। **16.** असफल बोलीदाताओं द्वारा धरोहर राशि का भुगतान इण्डियन ओवरसीज बैंक जगतपुरा, जयपुर राजस्थान के द्वारा अधिकरण से आदेश प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट की संख्या	अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	The immovable property Flat No. 313, 3rd Floor, Block A, Omega Situated at Khasra No. 697/3, 695/2 & 699 Village-Jaisinghpura, Muhana, Tehsil- Sanganer, Jaipur, Raj.	**जानकारी नहीं**	**जानकारी नहीं**	**जानकारी नहीं**

अधिकरण की मोहर

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 22/04/2025 को जारी।

वसूली अधिकारी- द्वितीय
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अशोक विहार, दिल्ली
ईमेल : ubin0825522@unionbankofindia.bank

संदर्भ : 25521/एडीवी/12/2025–26 **दिनांक : 15.05.2025, स्थान : दिल्ली**

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

प्रति

1. **उधारकर्ता/ओं : सुश्री अर्पिता गौर पुत्री श्री नवनीत गौर,** निवासी : 569,निमरी कॉलोनी, अशोक विहार IV दिल्ली 110 052
इसके अतिरिक्त : 88, रोहिणी सेक्टर 16, दिल्ली 110 085
2. **गारंटरों : श्री संजय शर्मा पुत्र श्री प्रे नारायण शर्मा**
निवासी : 509,निमरी कॉलोनी, अशोक विहार IV दिल्ली 110 052

महोदय/महोदया,

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(3) के सहपठित धारा 13(2) के तहत सूचना।

आप पता संख्या 1 और संख्या 2 ने हमारे अशोक विहार शाखा से निम्निलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और बकाया/किस्त/ ब्याज का भुगतान नहीं किया है/ खातों के संतोषजनक तरीके से संचालन नहीं किया है और, इसलिए आरबीआई के अन्य मान्यता और प्रूडेंशियल अकाएउंटिंग मानदंडों के अनुसार, आपका खाता/ओं (255216520000031) को 28.04.2025 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दिनांक 28.04.2025 तक, **रुपये 5,12,220.90/– (रुपये पांच लाख बारह हजार दो सौ बीस और नब्बे पैसा मात्र)** की राशि आपके खाता/ओं में बकाया है।

आप में से शंख्या 1 और संख्या 2 की ओर से उपरोक्त खाता/ओं के सं बंध में बैंक को देय राशि का विवरण इस प्रकार है:–

सुविधा का प्रकार	एनपीए की दिनांक यानी 28.04.2025 को बकाया राशि	अनुप्रयुक्त ब्याज	दंडात्मक ब्याज (सरल)	बैंक द्वारा वहन लागत/प्राभारों	कुल बकाया
वाहन ऋण	रूपये. 4,99,590.00/–	रू. 12,630.90/–	–	–	रू.5,12,220.90/–

बैंक के बकाया या बकाया होने वाली राशि की पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, श्रीमती अर्पिता गौर और श्री संजय शर्मा ने 28.09.2022 को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और प्रत्याभूत हित का निर्माण किया:

निम्न वर्णित चल संपत्ति का हाइपोतिकेशन विववण :

- एक न्यू ब्रांड **बलेनो सिग्मा** जो निम्मलिखित विवरणों के स थ पंजीकृत है:

पंजीयन संख्या : DL 8C BE 1497
चेचिस संख्या : MBHHWB13SNJ255168
इंजिन संख्या : K12NP7133900

इसलिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत आप से **रुपये 5,12,220.90/– (रुपये पांच लाख बारह हजार दो सौ बीस और नब्बे पैसा मात्र)** संग संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज प्रभारों के साथ आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार और इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने और अपनी देनदारियों का निर्वहन करने की मांग करते हैं, असफल होने पर, हम उक्त अ धिनियम के तहत दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके आपके द्वारा बनाई गई निम्नलिखित प्रतिभूतियों को प्रवर्तीत करने के लिए विवश होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस सूचना की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना व्यवसाय के सामान्य प्रकार को छोड़कर उपरोक्त प्रतिभूतियों के निपटान या लेन–देन से रोका जाता है। कृपया यह भी ध्यान दें कि इस धारा के किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम आवश्यक हैं।

आपका ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, सरफैसी की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

भवदीय,प्राधिकृत अधिकारी

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या-286, द्वितीय तल, पॉकेट-1, सेक्टर-25, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में,
1. श्री ईशु शर्मा (कर्जदार) **2. श्रीमती ज्योति शर्मा (सह-कर्जदार)**
3. श्री. आशु शर्मा

सभी निवासीः डब्ल्यूजेड- 518ए, प्लॉट नंबर 17-इ, गली नंबर 2, खसरा नंबर 64/24/2, पालम कॉलोनी, राज नगर, पालम गांव, एस.ओ., दक्षिण पश्चिम - 110045

साथ हीः निर्मित संपत्ति के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से से छत/टेरेस के अधिकार सहित पूरी तीसरी मंजिल, नंबर डब्ल्यूजेड-518-ए, प्लॉट नंबर 17-बी पर, गली नंबर 2 में, खसरा नंबर 64/24/2 में से, पालम गांव की राजस्व संपदा में स्थित, कॉलोनी राज नगर, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली - 110045

LAN No. DL/JNK/JNKP/A000000843

जैसा कि श्रेया अग्रवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण पश्चिम जिला, द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 09.04.2025 के आदेश के अनुसार, निर्मित संपत्ति के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से से छत/टेरेस अधिकारों सहित पूरी तीसरी मंजिल का समस्त भाग, जिसका नंबर डब्ल्यूजेड-518-ए है, प्लॉट नंबर 17-बी पर, गली नंबर 2 में, 50 वर्ग गज यानी 41.805 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, खसरा संख्या 64/24/2 में से, राजस्व संपदा गांव पालम में स्थित, कॉलोनी राज नगर पालम कॉलोनी, नई दिल्ली - 110045 संपत्ति का भौतिक कब्जा को 27.05.2025 को मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है।

सेवा में, 1. श्री आलोक सिंह (कर्जदार) 2. श्री संतोष कुमार सिंह (सह-कर्जदार) 3. श्रीमती कंचन सिंह (सह-कर्जदार)

सभी निवासीः मकान नं. 171, सैनिक एन्क्लेव, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059

साथ हीः तीसरी मंजिल, निजी नं. टीएफ-303, संपत्ति नं. 1 और 2 (टॉवर-सी), खसरा नं. 65/20, गांव हस्ताल, प्रताप एन्क्लेव, मोहन गार्डन, उत्तम नगर दिल्ली- 110059

LAN No.DL/JNK/JNKP/A000000801

जबकि श्रेया अग्रवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण पश्चिम जिला द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 26.04.2025 के आदेश के अनुसार, संपत्ति निर्मित तीसरी मंजिल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, बिना छत/टेरेस अधिकारों के, निजी संख्या टीएफ -303, संपत्ति संख्या 1 और 2 (टॉवर-सी) के हिस्से पर निर्मित, आनुपातिक क्षेत्र 55 वर्ग गज (यानी 45.98 वर्ग मीटर) के साथ, कुल क्षेत्रफल 220 वर्ग गज (अर्थात 183.94 वर्ग मीटर) में से खसरा संख्या 65/20, ग्राम हस्तल के क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी प्रताप एन्क्लेव, मोहन गार्डन, उत्तम नगर दिल्ली- 110059, सीमाएं - पूर्व - प्लॉट संख्या 3, पश्चिम - सड़क 15 फीट, उत्तर - प्लॉट संख्या 3, दक्षिण - गली, का भौतिक कब्जा 28.05.2025 को मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांकः 03.06.2025, स्थानः दिल्ली-एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अशोक विहार, दिल्ली
ईमेलः ubin0825522@unionbankofindia.bank

संदर्भः 25521/ADV/13/2025-26 **दिनांकः** 15.05.2025, **स्थानः** दिल्ली

मांग नोटिस धारा 13(2) के तहत

सेवा में,

1. कर्जदार/ओंः श्री दीपक बंसल पुत्र श्री अशोक बंसल
निवासी बी–1781/4, निकट शिव मंदिर, शास्त्री नगर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110052

महोदय/महोदया,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत नोटिस

आप यहाँ उल्लिखित संबोधित नं. 1 ने हमारी अशोक विहार शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ प्राप्त कीं और देयों/किस्त/ब्याज के भुगतान/खातों को संतोषजनक प्रचालन में असफल रहे हैं और इसलिए, आरबीआई दिशा–निर्देशों जैसे इनकम रिकॉगनिशन एंड प्रूडेन्शियल एकाउन्टिंग नियमों के अनुसार आपका खाता/ते दिनांक 03.04.2025 को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है/हैं। दिनांक 03.04.2025 को आपके खाते में रु. 12,33,891/- **(रुपये बारह लाख तैंतीस हजार आठ सौ इक्यानवे मात्र)** बकाया है।

उपरोक्त खाता/ओं के संबंध में आप क्रमांक 1 से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नवत् है:

सुविधा का प्रकार	बकाया राशि एनपीए की तारीख अर्थात 03.04.2025 को	अप्रयुक्त ब्याज	दंड स्वरूप ब्याज (साधारण)	लागत / प्रभार बैंक द्वारा वहन	कुल बकाया
वाहन ऋण	रु. 11,97,904.00	रु. 35,987/–	–	–	रु. 12,33,891/-

बैंक को देय बकाया अथवा देय हो सकने वाली धनराशि के पुनर्भुगतान की प्रतिभूति के लिए श्री दीपक बंसल ने दिनांक 02.01.2023 को दस्तावेज निष्पादित किए और निम्न के द्वारा प्रतिभूति हित किया गया:

नीचे वर्णित चल परिसंपत्ति का रेहनः

- **एक ब्रांड न्यू TATA HARRIER XZA+ जिसके पंजीकरण का ब्यौरा निम्नवत् है:**

पंजीकरण संख्याः DL 9C BA 6831
चेसिस संख्या : MAT631604NWN81209
इंजन संख्या : 46343841-4221957

इसलिए आपसे एतद्द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुपालन में आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों के नियम एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 12,33,891/- **(रुपये बारह लाख तैंतीस हजार आठ सौ इक्यानवे मात्र)** को अनुबंधित दर से आगे की ब्याज व प्रभारों सहित इस नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने और अपनी देयताओं से मुक्त होने के लिए कहा जाता है, अन्यथा हम उक्त अधिनियम के तहत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग कर उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति पर आप बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटारा अथवा लेनदेन करने से निषिद्ध होंगे/मनाही होगी।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में सरफासी की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भवदीय,
प्राधिकृत अधिकारी